न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

गिरराज वगै० बनाम मांगीलाल वगे0

प्रकरण संख्या :-25/21

1. गिरराज पिता भंवरलाल जाति बैरागी निवासी सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना
2. प्रेम पिता भंवरलाल जाति बैरागी निवासी सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना
3.सत्यनारायण पिता भंवरलाल जाति बैरागी निवासी सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना
4.दिलीप पिता भंवरलाल जाति बैरागी निवासी सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना
5. सुगन बाई पुत्री भंवरलाल जाति बैरागी निवासी सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना
6 सुंदरबाई पुत्री रामदास जाति बैरागी निवासी सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना

..... प्रार्थी

1 मांगीलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ जाति बैरागी निवासी सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना
2. उप पंजीयन अधिकारी जरिये तहसीलदार मनोहरथाना

..... अप्रार्थीगण

विषय: प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 09.04.2026

उपस्थित

श्री अशोक कुमार लववंशी , अधिवक्ता प्रार्थी
श्री रामवतार गुप्ता ,अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 23.11.2021को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उनवान वाद अंतर्गत धारा

09.4.26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

88,89,91,92A, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय हाजा में विचाराधीन है।

ग्राम सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 58 पुरानी 58 की खसरा नंबर 198 की तीन बीघा 11 विस्वा, 199 की एक बीघा 11 विस्वा, 664 की 2 बीघा 19 विस्वा, 878 की 9 विस्वा, 992 की 2बीघा 16 विस्वा, 962 की एक बीघा 14 विस्वा, 1081 की 8 बीघा 1 बिस्वा कुल 6 किता की 21 बीघा 05 विस्वा आरजी प्रार्थी गण के दादा व पिता के शामिल खाते दर्ज है।

ग्राम सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 59 पुरानी 59 की खसरा नंबर 902 की 2 बीघा 197 की 4 बीघा 18 विस्वा, 939 की 6 बीघा 14 विस्वा,948 की 03 बीघा 07 विस्वा,949 की 2बीघा 4 विस्वा कुल पांच किता की 19 बीघा 3 विस्वा आरजी प्रार्थीगण के दादाजी के शामिल खाते दर्ज है।

उक्त वर्णित आरजी में प्रार्थी गण एवं अप्रार्थी नंबर एक की पुश्तैनी आरजी है उक्त आरजी के खातेदार रामदास, गुलाब दास पिता प्रभु दास बैरागी शामिल खाते में बराबर से दर्ज है रामदास फ़ौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान 01 लगायत 06 व अप्रार्थी नंबर 1 है।

रामदास की मृत्यु के पश्चात नामांतरण संख्या 253 खोला गया जिसमें प्रार्थीगण 1 लगायत 5 के पिता भवरलाल व प्रार्थिय नंबर 6 वअप्रार्थी नंबर एक के नाम खोला गया जबकि अप्रार्थी नंबर एक मांगीलाल अपने पिता रामदास के जीवित रहते हुए ही जगन्नाथ पिता गिरधारी दास की यहां गोद चला गया था अतः दत्तक पुत्र के अपने जैविक पिता रामदास की संपत्ति से अधिकार समाप्त हो गए थे प्रार्थीगण का हिस्सा प्रभावित करने के कारण उक्त नामांतरण खोला गया जोकि नियम विरुद्ध था। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आरजी है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत गोदनसीन पुत्र को अपने जैविक पिता की संपत्ति में हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः आराजी में नामांकन संख्या 253 दिनांक 14.5.1990 प्रार्थी के अधिकारों पर बेअसर है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक व दो में वर्णित आरजी वर्तमान में राजस्व

09.4.26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

रिकॉर्ड पृथक पृथक खाते दर्ज हो चुके हैं। अप्रार्थी नंबर एक मांगीलाल के गोद को चले जाने के पश्चात उसके अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाने के कारण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी नंबर एक लगायत पांच का 1/8 हिस्सा में प्रार्थी नंबर 6 का 1/8 हिस्सा खातेदार टिनेंट घोषित होने योग्य है इस प्रकार प्रार्थी गण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध इस बात की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त आरजी का अपने हिस्से का बेचान,दान, रिलीज वसीयत आदि ना तो स्वयं करें ना अन्य किसी से करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी वाद ग्रस्त आराजी खसरा नंबरान की पेश की है स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है तथा कुछ अन्य दस्तावेज पेश किए हैं इन दस्तावेजों में नामांतरण संख्या 253 की प्रति, जिसमे अप्रार्थी को रामदास की आराजी उसके फ़ौत होने पर प्राप्त हुई है इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज जिनमे प्रार्थी मांगीलाल द्वारा दीगर व्यक्तियों को भूमि का बेचान किया है जिनमे विक्रयकर्त्ता मांगीलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ अंकित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी के नाम म्यूटेशन वसीयत के आधार पर खुला है वह गोद गया ही नहीं है। कि प्रार्थी गण का दावा मिसजॉइंडर ऑफ पार्टी के आधार पर खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा पिछले 30 वर्ष से है प्रार्थी का नाम डिलीट करने के संबंध में पूर्व में कभी कोई दावा पेश नहीं किया है अतः मियाद बाहर होने से दावा खारिज होने योग्य है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की विस्तृत बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत समस्त अभिलेखों का सम्यक् परिशीलन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निम्नांकित तीन बिन्दु विचारणीय हैं:

(क) क्या प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया (Prima Facie) सबल मामला बनता है?

(ख) क्या सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) प्रार्थीगण के पक्ष में है?

(ग) क्या अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने की दशा में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss) होगी?

09.4.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

बिन्दु संख्या 1: प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case)

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी नकल, शपथ पत्र एवं नामांतरण संख्या 253 दिनांक 14.05.1990 के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल, अपने जैविक पिता रामदास के जीवनकाल में ही जगन्नाथ पिता गिरधारीदास के यहाँ दत्तक चले गये थे।

हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 के अनुसार दत्तक पुत्र अपनी दत्तक-ग्रहण की तिथि से अपने जैविक परिवार से समस्त पारिवारिक सम्बन्ध एवं सम्पत्ति अधिकार खो देता है। तदनुसार, अप्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार का दावा विधिक दृष्टि से निर्मूल प्रतीत होता है।

इस संदर्भ में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल द्वारा पूर्व में अन्य भूमि के बेचान-पत्रों (विक्रय दस्तावेजों) में स्वयं को "मांगीलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ" के रूप में सम्बोधित किया गया है। यह तथ्य अप्रार्थी के अपने ही आचरण (Conduct) एवं स्वीकृति (Admission) को प्रकट करता है कि वे स्वयं को जगन्नाथ का दत्तक पुत्र मानते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 17 एवं 21 के अनुसार ऐसा स्वीकारोक्ति कथन (Admission) उस पक्षकार के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य एवं बाध्यकारी होता है। इस प्रकार अप्रार्थी स्वयं के विक्रय दस्तावेजों से यह दावा नहीं कर सकते कि वे गोद गये ही नहीं थे — यह उनका विरोधाभासी आचरण (Approbate and Reprobate) है, जो विधि में अनुज्ञेय नहीं है।

अतः इस बिन्दु पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया सबल मामला (Prima Facie Case) सन्तोषजनक रूप से सिद्ध होता है।

बिन्दु संख्या 2: सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience)

वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है एवं मूल वाद अभी न्यायालय में विचाराधीन है। यदि इस बीच अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का बेचान, दान, वसीयत या रिलीज कर देते हैं तो मूल वाद का अंतिम निर्णय व्यावहारिक दृष्टि से निरर्थक हो जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

संख्या 1 पूर्व में भी अन्य भूमि का विक्रय कर चुके हैं, जो यह संकेत देता है कि भूमि के अन्यसंक्रमण की आशंका केवल काल्पनिक नहीं, अपितु वास्तविक एवं तात्कालिक है। अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी रूप से रोकने से उन्हें कोई विशेष असुविधा नहीं होगी, क्योंकि कृषि उपयोग पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। अतः सुविधा का संतुलन स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में है।

बिन्दु संख्या 3: अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss)

भूमि की विशिष्ट प्रकृति ऐसी होती है कि एक बार तृतीय पक्ष को विक्रय हो जाने पर उसे वापस प्राप्त करना अत्यंत कठिन एवं दीर्घकालिक विधिक प्रक्रिया की अपेक्षा रखता है। विशेष रूप से, यह तथ्य कि अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं को "मांगीलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ" घोषित करते हुए पूर्व में भी भूमि बेच चुके हैं, यह प्रमाणित करता है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का भी इसी प्रकार अन्यसंक्रमण किये जाने की प्रबल आशंका है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Dalpat Kumar v. Prahlad Singh, AIR 1993 SC 276 में प्रतिपादित किया है कि जहाँ वाद की अवधि में भूमि के अन्यसंक्रमण की वास्तविक आशंका हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा उचित एवं न्यायसंगत राहत है। अतः इस बिन्दु पर भी प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना सिद्ध होता है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन, तथ्यों के परिशीलन एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु अपेक्षित तीनों शर्तें — प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति — सन्तोषजनक रूप से सिद्ध करने में सफल रहे हैं। विशेष रूप से यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के स्वयं के विक्रय दस्तावेजों में स्वयं को "मांगीलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ" लिखना उनकी अपनी स्वीकृति है, जो उनके विरुद्ध निर्णायक साक्ष्य है। अतः धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

09.04.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

—: आदेश :—

आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ, जाति बैरागी, निवासी सेमलीहाट, तहसील मनोहरथाना वादग्रस्त आराजी का खाता संख्या 58 — खसरा नं. 198 (3 बीघा 11 विस्वा), 199 (1 बीघा 11 विस्वा), 664 (2 बीघा 19 विस्वा), 878 (9 विस्वा), 992 (2 बीघा 16 विस्वा), 962 (1 बीघा 14 विस्वा), 1081 (8 बीघा 1 विस्वा) — कुल 21 बीघा 05 विस्वा,खाता संख्या 59 — खसरा नं. 902 (2 बीघा), 197 (4 बीघा 18 विस्वा), 939 (6 बीघा 14 विस्वा), 948 (3 बीघा 07 विस्वा), 949 (2 बीघा 4 विस्वा) — कुल 19 बीघा 03 विस्वा

मूल वाद के अंतिम निर्णय तक किसी भी प्रकार से बेचान, दान, रिलीज, वसीयत या अन्य किसी भी विधि से अन्यसंक्रमण न करें और न किसी अन्य व्यक्ति से कराएँ।

यह अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद प्रभावी रहेगी।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

09.4.26

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

मनोहरथाना